न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—290/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/290)

1. श्रीमती फूमा देवी पुत्री स्व0 श्री रामचन्द्र पत्नि श्री प्रहलाद जी जाति ब्राहमण निवासी—शिखरानी तहसील—बिजयनगर जिला ब्यावर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती शान्ति पुत्री स्व0 श्री रामचन्द्र पत्नि श्री बालूराम पुरोहित जाति ब्राहमण निवासी—शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर हाल मुकाम ग्राम छोटी कुण्डिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
2. श्रीमती भगवती स्व0 श्री रामचन्द्र पत्नि श्री रामलाल पुरोहित जाति ब्राहमण निवासी शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर हाल मुकाम ग्राम आपलियास तहसील हुरडा जिला भीलवाडा।
3. रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र श्री किशोर जी जाति ब्राहम्ण निवासी शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर।
4. श्रीमती रामसुखी पत्नि श्री रामगोपाल उर्फ गोपाल जाति ब्राहमण उम्र बालिग निवासी शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर हाल मुकाम फलामादा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा।
5. श्रीमती अयोध्या उर्फ अजोद्या पुत्री स्व0 श्री किशोर जी पत्नि श्री घनश्याम निवासी शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर हाल मुकाम फलामादा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
6. श्रीमती शांति पत्नि स्व0 श्री हजारी उम्र बालिग निवासी—शिखरानी तहसील—बिजयनगर जिला ब्यावर।
7. सांवर लाल पुत्र स्व0 श्री हजारी निवासी शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर।
8. श्रीमती कान्ता पुत्री स्व0 श्री हजारी पत्नि श्री रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर हाल मुकाम फलामादा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा।
9. श्रीमती राधा पुत्री स्व0 श्री हजारी पत्नी श्री रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर हाल मुकाम बाडी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर।
10. श्रीमती संतोष पुत्री स्व0 श्री हजारी पत्नी श्री उदा जाति ब्राहमण निवासी शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर हाल मुकाम ग्राम आपलियास तहसील हुरडा जिला भीलवाडा।
11. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा बरल द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर।
12. उप—पंजीयक, बिजयनगर जिला ब्यावर।
13. तहसीलदार, बिजयनगर जिला ब्यावर।
14. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर, ब्यावर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा राजस्व वाद संख्या 60/2022(2022/164)

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री वैभव पारीक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 10
3. श्री राजीव शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 11
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 12 से 14

निर्णय

दिनांकः—12.01.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 60/2022 (2022/164) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया/अपीलांट ने एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध रेस्पोडेंट प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र को दिनांक 17.05.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किए गए व दिनांक 01.07.2022 को प्रतिवादीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए व दिनांक 03.04.2024 को प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात पत्रावली वास्ते तनकीयात कायम करने हेतु दिनांक 03.04.2024 को नियत कर दी गई। तत्पश्चात दिनांक 11.09.2024 को रेस्पोडेंट्स द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया व दिनांक 25.10.2024 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की बहस सुनते हुए अपीलांट के वाद को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर खारिज करने के आदेश दिनांक 25.10.2024 को पारित कर दिए गए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 60/2022 (2022/164) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 3.4.2024 को जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर दिया गया था एवं प्रकरण दिनांक 3.4.2024 को ही वास्ते तनकीयात हेतु नियत कर दिया गया था। चूंकि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने जवाब दावे की मद संख्या 11 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजीयात का दिनांक 25.9.1998 को रजिस्टर्ड गोदनामा रामगोपाल के पक्ष में तस्दीक करवा दिया गया है ऐसी स्थिति में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है, इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने सरसरी तौर पर बिना प्रकरण का परीक्षण किये बगैर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर वाद को खारिज करने में गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है। वादग्रस्त आराजीयात जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2023 में

दौला पुत्र बख्तावर कौम ब्राहमण के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी मुतनाजा अपीलांट के दादा के नाम दर्ज है एवं उपरोक्त भूमि अपीलांट के दादा से अपीलांट के पिता रामचन्द्र को प्राप्त हुई है व अपीलांट रामचन्द्र की जायन्दा पुत्री होने से एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस होने से विवादित आराजी मुतनाजा में अपीलांट का जन्म से हक व अधिकार निहित है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रकरण को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी. सी. के तहत कानूनन खारिज नहीं किया जा सकता बल्कि उपरोक्त प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर तनकीयात पर साक्ष्य ली जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायहित में अनिवार्य था, इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने प्रकरण को प्री मैच्योर स्टेज पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के आधार पर खारिज करने में गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है अतः उनके द्वारा पारित निर्णय अपील के माध्यम से काबिल निरस्त योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत वाद को तब ही खारिज किया जा सकता है जब वाद पत्र को पढने मात्र से यह प्रतीत होता हो कि उपरोक्त वाद बार्ड बाई लॉ है या कोई कोज ऑफ एक्शन अराईज नहीं हुआ हो तब ही वाद पत्र को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जा सकता है, जबकि उपरोक्त वाद को पढने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वाद बार्ड बाई लॉ है ऐसी स्थिति में कानूनन उपरोक्त इंग्रीडेन्ट्स नहीं होने के बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर अपीलांट के वाद को सरसरी तौर पर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है। वाद को सरसरी तौर पर आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी. के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है बल्कि जो बिन्दु आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में उठाये गए हैं उपरोक्त बिन्दुओं पर जवाब दावा लिया जाकर, तनकी कायम की जाकर, साक्ष्य ली जाकर मैरिट पर ही प्रकरण को निस्तारण किया जाना न्यायहित में अनिवार्य है जिसके बाबत् माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गए हैं, इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलांट के वाद को सरसरी तौर पर बिना गुणावगुण पर निस्तारित किए बगैर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है जो कि अपील के माध्यम से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने गैर कानूनी आदेश दिनांक 25.10.2024 में यह वर्णित किया है कि विवादित आराजी मुतनाजा का गोदनामा रामगोपाल के पक्ष में निष्पादित होने से राजस्व रिकार्ड में रामगोपाल का नाम दर्ज किया गया है जो विधिनुसार सही दर्ज किया जाना पाया जाता है, यह कहते हुए आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत अपीलांट के वाद को निरस्त किया गया है, जबकि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत यह नहीं देखा जा सकता कि रामगोपाल के नाम तथाकथित रजिस्टर्ड गोदनामे से भूमि अंकित की गयी है। उपरोक्त बिन्दु तनकीयात कायम कर साक्ष्य ली जाकर ही निर्णय पारित किया जा सकता है इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने सरसरी तौर पर अपीलांट के वाद को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज करने में गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है जिससे उनका निर्णय प्रथम अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने ए.आई.आर. 2016 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पेज 769 का हवाला देते हुए यह वर्णित किया कि दिनांक 9.9.2005 से पूर्व पिता

की मृत्यु के बाद उनके द्वारा छोडी गयी सम्पत्तियों में पुत्रीयों का कोई हक, अधिकार होना नहीं माना गया है जबकि उपरोक्त नजीर उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है, चूंकि अपीलांट अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् विरासत के आधार पर प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होने से विवादित आराजी मुतनाजा में अपीलांट का जन्म से हक, अधिकार निहित है। ऐसी स्थिति में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत अपीलांट के वाद को निरस्त करने में उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है जिससे उनका निर्णय अपील के माध्यम से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि तथाकथित गोदनामा को माना भी जाता है तो कानूनी रूप से रामगोपाल का 1/4 हिस्सा ही निहित होता है परन्तु सम्पूर्ण भूमि का रामगोपाल खातेदार नहीं हो सकता है। उपरोक्त बिन्दु प्रकरण की ट्राईल में ही तय किये जा सकते हैं इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने सरसरी तौर पर प्रकरण को खारिज करने में गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है जिससे उनका निर्णय अपील के माध्यम काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 60/2022 (2022/164) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादीया द्वारा अपने वाद पत्र में झूठे तथ्य के आधार पर वाद पेश किया है, जो कि वादीया पिता रामचन्द्र जी अपने जीते जी रामगोपाल को गोद लिया था और रामचन्द्र व श्रीमति जडाव की सेवा चाकरी वादीया की जानकारी में थी उक्त रामगोपाल को मेरे पिता ने गोद ले रखा है, और सेवा चाकरी रामगोपाल ही कर रहा है। श्रीमति जडाव द्वारा रामगोपाल को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 25.9.1998 को गोद लिया तथा रामचन्द्र व जडाव की मृत्यु उपरान्त विरासत का खाता रामगोपाल के नाम दर्ज हुआ जिसकी जानकारी वादीया को सालों पूर्व से ही हो चुकी है। जिसका वादीया ने किसी भी प्रकार से कोई उज्र एतराज नहीं किया। वादीया का वाद विधि के विरूद्ध होने से उक्त वाद पत्र कानूनन उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत अब कोई हक हिस्सा नहीं बनता है और वादीया को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद खारिज किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाष रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं–

ORDER 7 RULE11 CPC- RELIEF FOR CANCELLATION OF SALE DEED-JURISDICTION LIES WITH THE CIVIL COURT-SUIT BEFORE REVENUE COURT BARRED - NOT MAINTIANBALE.

1) 2021 RBJ 372 (HC)
2) 2021 RBJ 725
3) 2021(1) RRT 500
4) 2020 RBJ 666(HC)
5) 2013 RBJ 603(HC)
6) 2020(2) WLC RAJ 541(HC)

7) 2021 RBJ 275
SEC 207 TENANCY ACT WITHOUT CANCELATION OF SALE DEED - NO RELIEF CAN BE GRANTED-JURISDICTION LIES WITH THE CIVIL COURT.
1) 2003 RRD 423 (HC)
2) 1977 RRD 637(HC)
3) 1988 RRD 170(HC)
4) 2011 RRD 145
5) 2020(4) DNJ(RAJ.) 1108
JURISIDICTION BARRED SUIT FRIVLEOUS AND VEXATIOUS SUIT- NEED TO BE DISMISSSED AT THE EARLIEST STAGE.
1) 2020 RBJ 684(HC)
2) 2017 RBJ 145(HC)
3) 2010(1) DNJ (RAJ) 344
4) 2011(1) RRT 535
NO CAUSE OF ACTION DISCLOSED- PLAINT NOT CLEAR WITH THE AVERMENTS- PLAINT BARRED BY LAW - DESERVES TO BE SET ASIDE.
1) 2017 DNJ (SC) 832
2) 2017(2) RRT 1037 (SC)
3) 2020 RBJ 472
4) 2021 (4) DNJ 1204 (SC)
5) 2014 DNJ (SC) 317 (SC)
ORDER 7 RULE 11 CPC CAN BE FILLED AT ANY STAGE-BEFORE WRITTEN STATEMENT
1) 2008(3) DNJ (RAJ.) 1343
2) 2011(2) NRRT 1433
3) 2012(1) RRT 293

6. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पोडेंट प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान की बहस सुनते हुए प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 25.10.2024 को स्वीकार किए जाने व वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर स्व0 रामचन्द्र व स्व0 श्रीमती जडाव की पुत्री एवं प्रथम श्रेणी की वारिस होने से विवादित आराजीयात में उसका हक हिस्सा दर्ज किए जाने व राजस्व नक्शे में आवश्यक तरमीम किए जाने तथा प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने हेतु अनुतोष चाहा गया।

प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस द्वारा उक्त वाद पत्र का जवाब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.04.2024 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा दावे एंव जवाब दावे के आधार पर पत्रावली को वास्ते तनकीयात कायमी हेतु आगामी पेशी दिनांक 01.05.2024 को नियत किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 11.09.2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 18.10.2024 को उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.10.2024 को पत्रावली का अवलोकन कर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार किया गया व वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए।

हमारे द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी जा0दी0 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र के तहत वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा–

(क) जहां वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है।
(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी ठंदमक मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
(ङ) जहां वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है।
(च) जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।
(छ) जहां वादी नियम 9 (3) की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 में मुख्य कथन यह किया गया कि वादीया का वाद विधि के विरूद्ध होने से उक्त वाद पत्र कानूनन उत्ताधिकारी अधिनियम के तहत अब कोई हक हिस्सा नहीं बनता है और वादीया का उक्त वाद विधि विरूद्ध है, अतः वाद चलने योग्य नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 के तहत मौजूदा प्रकरण कानूनन चलने योग्य नहीं पाए जाने से खारिज किया गया।

हमारे द्वारा संपूर्ण पत्रावली का गहन अवलोकन किए जाने के बाद यह पाया गया कि उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं है अर्थात बार्ड बाई लॉ नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए प्रकरण में तनकीयात कायम कर विस्तृत रूप से वाद का निस्तारण करना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को स्वीकार कर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 03.04.2024 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था

तो अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में तनकीयात कायम करनी चाहिए थी, तथा उक्त तनकीयात पर साक्ष्य ग्रहण कर प्रदर्श अंकित करने चाहिए थे। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर प्रकरण का निस्तारण बिना गुणावगुण पर तय किए प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 अनुसार किया गया। इस आधार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था व पत्रावली वास्ते तनकीयात कायमी हेतु प्रस्तावित थी तो अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण का निस्तारण तनकीवार किया जाना चाहिए था। जिससे वादी व प्रतिवादी द्वारा उठाए गए उज्रों का विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निस्तारण होता परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर प्रकरण का निस्तारण नहीं कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 अनुसार किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2020—2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात दौला वल्द बख्तावर की थी जो जरिए विरासत दिनांक 22.07.1984 को किशोर, रामचन्द्र व मोहन पि0 दौला के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कथन किया गया कि उक्त आराजीयात अपीलांट के पिता की पैत्रिक भूमि होने से अपीलांट हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान होने से उक्त आराजीयात पर अपीलांट को खातेदार/काश्तकार घोषित किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत अपने निर्णय में किसी प्रकार की कोई फाईण्डिंग नहीं दी गई की वादी/अपीलांट का उक्त विवादित आराजीयात बाबत हक हिस्सा बनता है कि नहीं चूंकि उक्त आराजीयात पैत्रिक आराजीयात है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा चाहे गए अनुतोष बाबत गुणावगुण पर बिना टिप्पणी किए प्रकरण का निस्तारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 अनुरूप किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाए गए उज्रों का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम कर उन पर साक्ष्य ग्रहण कर किया जाना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को स्वीकार कर व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली भांति अवलोकन किए बिना प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विधिक त्रुटि कारित हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 60/2022 (2022/164) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2024 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर तनकीयात पर साक्ष्य ग्रहण कर प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए तथा हिन्दू उत्ताधिकार अधिनियम की धारा 8 का भली भांति अवलोकन कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान को

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.02.2026 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर